संख्या : ६९५/५०–यु०क०–८९–२१३/८५

प्रेषक,

श्री जयपाल सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : २७ अप्रैल, १९८९

विषय : प्रदेश के राजस्व मण्डलों में (आजमगढ़ को छोड़कर)
युवा केन्द्रों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० ५९५/५०–यु०क०–८९–२१३/८५ दिनांक ३१ मार्च, १९८९ के आंशिक संशोधन में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस शासनादेश में प्रस्तावित युवा केन्द्रों में क्रमांक (८) पर रामपुर व क्रमांक (९) पर मिर्जापुर जिनका उल्लेख त्रुटिवश हो गया के बजाय मुरादाबाद व वाराणसी में युवा केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है।

मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(जयपाल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या : ५९५/५०–यु०क०–८९ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(१) सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(२) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

(३) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(४) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग – २।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(५) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–२

(६) नियोजन अनुभाग–३

(७) राज्य योजना आयोग अनुभाग–२

(८) सम्बन्धित जिलाधिकारी (मुरादाबाद तथा बागपत को भी)

(९) संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/अपर जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(१०) निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(११) मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

(१२) संबंधित जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(१३) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(१४) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(जयपाल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

प्रेषक संख्या : ५९५/५०–यु०क०–८९–२१३/८५

श्री जयपाल सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ : दिनांक ३१ मार्च, १९८९

विषय :–प्रदेश के राजस्व मण्डलों में (आजमगढ़ को छोड़कर) युवा केन्द्रों की स्थापना।

महादेय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महादेय प्रदेश में युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने, युवा कार्यक्रमों की प्रभावी ढंग से संचालित करने, युवा कल्याण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने, साहसिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद को बढ़ावा देने तथा युवा कल्याण से सम्बद्ध स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रदेश के आर्थिक,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

सामाजिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने तथा तत्संबंधी उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के निमित्त प्रदेश के १३ राजस्व मण्डलों हेतु (आजमगढ़ को छोड़कर) युवा केन्द्रों की स्थापना हेतु युवा केन्द्रों की स्थापना एवं निर्माण के निमित्त २,६०,००,००० (रूपया दो करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

निम्नवत शर्तों के अधीन निर्गत की जा रही हैं :—

१. प्रस्तावित युवा केन्द्र १३ जनपदों (१) मथुरा (२) हरिद्वार (३) देहरादून (४) नैनीताल (५) महोबा (६) हमीरपुर (७) बरेली (८) इलाहाबाद (९) रामपुर (१०) मिर्जापुर (११) कुशीनगर (देवारिया) (१२) अयोध्या (फैजाबाद) (१३) लखनऊ एवं (१४) कानपुर में स्थापित किये जायेंगे।

२. प्रत्येक युवा केन्द्र का निर्माण पी० डब्लू० डी० या राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जायेगा तथा लागत निम्न समिति द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन के आधार पर किया जायेगा जिस हेतु स्टैंडर्ड लागत निर्धारित की जायेगी।

३. प्रत्येक युवा केन्द्र हेतु जिलाधिकारी द्वारा भूमि सुलभ करायी जायेगी। उपर्युक्त भूमि उपलब्ध न होने की दशा में भूमि का क्रय जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद द्वारा किया जा सकेगा। तद्हेतु रू० ३२.५० लाख धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद् के वैयक्तिक खाते में निदेशक, युवा कल्याण द्वारा आहरित कर जमा की जायेगी तथा यथा स्थिति उसका उपयोग युवा केन्द्रों हेतु भूमि के प्रतिकर/मूल्य भुगतान हेतु किया जा सकेगा। भूमि संबंधी स्थान/स्थल को निर्दिष्ट करने हेतु युवा कल्याण विभाग का पूर्वानुमोदन भूमि के प्रतिकर/ मूल्य भुगतान से पूर्व प्राप्त किया जाना होगा। यदि भूमि क्रय के उपरांत कोई धनराशि बचती है तो इसे निर्माण कार्य में उपयोग किया जायेगा।

४. उपरोक्त युवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में विस्तृत नियम/उप नियम/उप विधियां निदेशक, युवा कल्याण विभाग द्वारा बनायी जायेगी एवं उनका अनुमोदन युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त किये जाने व प्रदेश में समान रूप से लागू होगी।

५. युवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के निमित्त निम्नवत् प्रबन्ध समितियां गठित की जाती हैं :—

(अ)राज्य स्तरीय समिति

१. सचिव, युवा कल्याण	अध्यक्ष
२. सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
३. सचिव, नगर विकास अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
४. सचिव, राजस्व अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
५. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश	सदस्य
६. निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश	सदस्य

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

७. विशेष कार्याधिकारी, युवा कल्याण उ० प्र०	सदस्य
८. निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
९. निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश	सदस्य
१०. निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
११. निर्माण संस्थान के मुख्य अभियंता	सदस्य
१२. निदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव।

मण्डल स्तरीय समिति

१. संबंधित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
२. संयुक्त/उप विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
३. संबंधित जिलाधिकारी	सदस्य
४. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी	सदस्य
५. उ.प्र. निदेशक, पंचायती राज	सदस्य
६. निदेशक युवा कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
७. संबंधित जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य

६. उपरोक्त पैरा – १ में स्वीकृत धनराशि को विशेष परिस्थिति में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, का लखनऊ कोषागार में वित्तीय नियम संग्रह , खण्ड ५, भाग–१ के पैरा – ३४० (बी०) (२) के अन्तर्गत एक वैयक्तिक लेखा खाता लेखा शीर्षक ८४४३ – सिविल जमा – १०६–निजी जमा के अन्तर्गत खोलकर जमा किये जाये और उक्त पुस्तिका के पैरा–३४० बी के प्राविधानों की शिथिल कर इस धनराशि का उपयोग दिनांक ३०–६–८९ तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखे का संचालन निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, द्वारा किया जायेगा। कोषाधिकारी, लखनऊ के महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में उक्त पी०एल०ए० खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

७. उपरोक्त क्रम में युवा केन्द्रों की स्थापना पर आने वाला व्यय भार रू० २,२७,५०,००० (दो करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार रू० मात्र) निदेशक, युवा कल्याण द्वारा कोषागार, लखनऊ में खुले पी०एल०ए० में से आहरित कर निर्माण।

कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय, को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

८. आजमगढ़ मण्डल के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

९. चूंकि व्यय अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है तथा चालू वित्तीय वर्ष (१९८८–८९) के आय–व्ययक में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तथा व्यय अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है, अत:

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

राज्यपाल महोदय, २,६०,००,००० रू० (दो करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित करने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

१०. उक्त व्यय प्रथमत: आय–व्यय वर्ष १९८८–८९ में ८००० राज्य आकस्मिकता निधि के लेखे तथा अन्तत: अनुदान सं० १४ के लेखा शीर्षक ४०७० अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय–आयोजनेत्तर–८००–अन्य व्यय ०१ के अधीन एक नया उप शीर्षक "प्रदेश के प्रत्येक मण्डलीय मुख्यालय पर युवा केन्द्र की स्थापना" सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(जयपाल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

वित्त विभाग

संख्या : ई–२/सी०एफ०/६११/दस–८९ तद्दिनांक

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति सहित महालेखकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से

(संजीव नायर)
संयुक्त सचिव।

संख्या : ५९५ (१)/५०–यु०क०–८९–२१३/८५ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

१. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
३. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
४. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग – २
५. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–२
६. नियोजन अनुभाग–३
७. राज्य योजना आयोग
८. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
९. संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त / उप विकास आयुक्त / अपर जिलाधिकारी (विकास) / मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

१०. निदेशक पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

११. मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

१२. संबंधित जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

१३. कोषाधिकारी, लखनऊ।

१४. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(जयपाल सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com